

राष्ट्रीय शिक्षा निति : महत्त्व व चुनौतियाँ

डॉ. एम.पी. त्रिपाठी¹ एवं शालिनी चौपड़ा²

¹एसो. प्रोफेसर शिक्षा-संकाय ,आर.आर.पी.जी. कॉलेज अमेठी, उत्तर प्रदेश

²शोध छात्रा शिक्षा-संकाय , E-mail ID: shalinitandon25@gmail.com

Paper Received On: 22 JUNE 2022

Peer Reviewed On: 27 JUNE 2022

Published On: 28 JUNE 2022

Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा निति, 2020 में भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके, यह हमारे देश के एक समान और और सपन्न ज्ञान समाज की दिशा में दीर्घकालिक परिवर्तन में सीधे योगदान देता है। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा निति है, जिसका उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती हुई विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करता है। यह निति भारत की परम्पराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन शासन सहित शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं को संशोधित करने का प्रस्ताव करती है। NEP, 2020 प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता और उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देता है, जैसे कि महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान; और सामाजिक नैतिक और भावनात्मक क्षमता और सवभाव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन और शाश्वत भारतीय ज्ञान और विचारों की समृद्ध विरासत ने इस नीति को बनाने में मार्गदर्शन किया है।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गुणवत्तापूर्ण, ऑपरेशन ब्लेकबोर्ड, वैश्विक परिदृश्य, बुनयादी साक्षरता, संख्यानात्मक ज्ञान।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

भूमिका

जीवन में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा

नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिये विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी। जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव माँगे गए थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाब देही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

भारतीय शिक्षा की विकास यात्रा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह पहली नीति कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित थी।

- शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित किया गया।
- 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य और शिक्षकों का बेहतर प्रशिक्षण और योग्यता पर फोकस।
- नीति ने प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित किया, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
- शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा।
- माध्यमिक स्तर पर 'त्रिभाषा सूत्र' लागू करने का आह्वान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

- इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित

जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था।

- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया।
- इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन, 1992

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था।
- इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination-JEE) और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (All India Engineering Entrance Examination- AIEEE) तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिये राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (SLEEE) निर्धारित की।
- इसने प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

34 वर्षों के बाद भारत के शिक्षा नीति में बदलाव के निम्न कारण हैं

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की प्रमुख बिंदु

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/प्रीस्कूल (Pre-School) के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' (Early Childhood Care and Education ECCE) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना की मांग की गई है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता को संरक्षण

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति

मेंमातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार: इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गति विधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटरनशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी।

- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।

- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धि मत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।

- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4- वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंटी एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान कि या जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।

- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M. Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारत उच्च शिक्षा आयोग

- चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) का गठन किया जाएगा।

- HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है- विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council NHERC)

- मानक निर्धारण- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council- GEC)

- वित्त पोषण- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council- HEGC)
- प्रत्यायन- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)
- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Research Universities- MERU) की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से संबंधित चुनौतियाँ :

- महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्नवर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
- शिक्षकों का पलायन: विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्षिण शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।
- शिक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- संसद की अवहेलना: विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।
- मानव संसाधन का अभाव: वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ हैं।

निष्कर्ष : संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि NEP 2020 सचमुच हर तरह से एक क्रांतिकारी दस्तावेज़ है। इस नीति के तहत तमाम दूसरे मसलों के साथ-साथ शैक्षणिक मुद्दों और ढांचागत विषमताओं के निपटारे पर जोर दिया गया है। इसमें 21वीं सदी में भारत की ज़रूरतों के मद्देनज़र शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने और छात्रों को भावी मांग के हिसाब से तैयार करने का खाका खींचा गया है। इसके साथ ही NEP के सामने शिक्षा जगत की अनेक समस्याओं से निपटने की कठिन चुनौती भी है। निश्चित रूप से भारत अपनी युवा आबादी का लाभ उठाना चाहता है. साथ ही तेज़ गति से बढ़ती ज्ञान-

आधारित अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले अवसरों को भी हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में नई शिक्षा नीति पर प्रभावी रूप से अमल करना निहायत ज़रूरी हो जाता है। NEP देश का कायापलट करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि महामारी से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार ने इसकी गंभीरता और मकसद को समझते हुए तत्काल कई कदम उठाए हैं।

संदर्भ

MHRD, NEW DELHI; NEP, 2020(summary)

MHRD, NEW DELHI; Draft NEP, 2020

Kaithal, P.S. (2020); Analysis of Indian NEP 2020 towards achieving it's objectives;IJMTS; Vol 5, No. 2, pp.22-31

Kurien, A.(2020); Impact of New Education Policy 2020 on Higher Education, https://www.researchgate.net/publication/346654722_Impact_of_New_Education_Policy_2020_on_Higher_Education

Verma, H. and Kumar, A. (2020); New Education Policy 2020 of India: A Theoretical Analysis

https://www.researchgate.net/publication/355365803_New_Education_Policy_2020_of_India_A_Theoretical_Analysis

सिंह , वीरेंद्र और देवी, कुकन (2022);उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि ; IJRAR, Vol.9 No. 1, pp 17-20

Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,

<https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf> 3. National Education Policy 2020.4

9. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020